उ0प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर।

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
18(क)	क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अनुदानित/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक में वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से पालीटेक्निक (सहायता प्राप्त) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन एवं निराकरण के सम्बन्ध में है?	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या उक्त विभाग में दिनांक 26 सितम्बर 2013 से उक्त संस्तुतिया लागू करायी जानी प्रस्तावित थी, तथा यह पूर्णतः लागू हो गयी है?	उक्त संस्तुतिया वित्त विभाग के शासनादेश वे0आ0-2-665IV/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक-26.09.2013 के अनुरूप लागू किया जाना प्रस्तावित है। परन्तु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न हो पाने के कारण अभी तक लागू नहीं हो सकी है।
(ग)	यदि लम्बित है, तो किस स्तर पर लम्बित है?	शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-665IV/दस- 54 (एम) 2008 टी०सी०, दिनांक 26.09.2013 द्वारा संस्तुत किये गये प्राविधानो को लागू कराये जाने के सन्दर्भ में अद्यतन वित्त विभाग के स्तर पर दिनांक 11.11.2024 को सचिव वित विभाग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी थी। बैठक में प्राप्त निर्देशो के क्रम में प्रसताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है। इस प्रकार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।
(घ)	उक्त को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या कोई कार्यवाही की जा रही है?	उपर्युक्तानुसार।
(ड)	दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से लागू न होने के कारण कर्मचारियों को जो आर्थिक हानि हुई है,. उसका उत्तर दायित्व किसका है?	प्रश्न नहीं उठता।
(च)	उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वेतन विसंगतियों का निराकरण कब तक पूर्ण करायेंगे?	वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त आवश्यक शासनादेश यथाशीघ्र निर्गत किया जायेगा।

(आशीष पटेल)
मंत्री